मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 173

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

झारखंड के दुमका में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत आवास

***173. श्री नलिन सोरेनः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड के दुमका नगर परिषद क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत आवासों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने आवासों को स्वीकृत किया गया है, कितने निर्माणाधीन हैं और कितनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत दुमका नगर परिषद को अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत और जारी की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दुमका नगर परिषद में पात्र लाभार्थियों को यथाशीघ्र आवास उपलब्ध कराने और लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"झारखंड के दुमका में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत आवास" के विषय में दिनांक 30.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 173 (13वाँ स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 211.57 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 14,187 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से दुमका नगर परिषद के लिए 1.76 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता के साथ मात्र 118 आवास स्वीकृत किए गए हैं। दुमका नगर परिषद में अनुमोदित आवासों के लिए अनुमोदित केंद्रीय सहायता की 40 प्रतिशत की पहली किस्त अर्थात 70.2 लाख रुपये एक माह के भीतर एसएनए-एसपीएआरएसएच के अंतर्गत मूल स्वीकृति के तहत राज्य सरकार को जारी कर दिए जाएंगे। योजना की प्रगति पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

(घ): पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है तथा सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर सभी आवश्यक विवरणों सहित आवेदन करते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है और लाभार्थियों का चयन/उनकी सूची की जांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। योजना के दिशा-निर्देश तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं। मांग सर्वेक्षण तथा लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी किए जाने पर आगे विचार किया जा सके। तथापि, झारखंड सरकार ने दिनांक 06.05.2026 को केवल पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने का निर्णय लिया है। दुमका सहित झारखंड सरकार का कोई भी परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।
